


न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस  
अपील संख्या 47/2023 एल आर एक्ट (GCMS No 2023/74)

अनवान प्रेमचन्द बनाम स्टेट, खेतपाल वगैरह  
अपील विरुद्ध निर्णय- उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर प्रकरण संख्या 01/2016 दिनांक 12.01.2017

| तारीख      | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज   | नम्बर व तारीख<br>अहकाल जो इस<br>हुक्म की तामील में<br>जारी हुऐ |
|------------|--|--|
| 26.03.2024 | <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्त अनुपस्थित। अपीलान्त प्रेमचन्द स्वय अनुपस्थित। रेस्पोंडेन्ट सं. 3 के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली वर्ष 2017 से विचाराधीन चल रही है। प्रस्तुत अपील में अपीलान्त एवं उसके अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा अपीलान्त के निमित नोटिस जारी किये गये, नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर अभिभाषक अपीलान्त एवं अपीलान्त प्रेमचन्द को को रूक-रूक कर आवाज लगवाई गई बावजूद आवाज के वे न तो स्वय उपस्थित आये और न ही उनकी ओर से कोई वेधानिक प्रतिनिधी उपस्थित आये। इस प्रकार अभिभाषक अपीलान्त की एवं स्वय अपीलान्त की अकारण बिना किसी आधार के अनुपस्थिती उनके न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश के अभाव को सिद्ध करती है व स्वेच्छा अनुपस्थिती मामला चलाने मे अरुचि जाहिर करती है। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"><br/>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त<br/>बीकानेर</p> |  |